

संचालनालय स्वास्थ्य-सेवायें
मध्यप्रदेश

पांचवी मंजिल, सतपुडा भवन, भोपाल - 462004
मेल -nursing.dhs@mp.gov.in दूरभाष 0755-2527165

क्रमांक :- 09/नर्सिंग/सेल-1एस/2018/एफ-38/

भोपाल, दिनांक / / 2019

//आदेश//

श्रीमती सोसम्मा ओमन, नर्सिंग सिस्टर, जिला चिकित्सालय सीहोर को मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस पेंशन नियम 1976 के नियम 42 दो उप नियम 1 के खण्ड क के अंतर्गत उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 15.01.2019 के आधार पर दिनांक 01.02.2019 से इस शर्त के साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति किया जाता है कि यदि उनसे कोई शासकीय धनराशि की वसूली शेष हो तो वह उन्हें देय उपादान की राशि से समायोजित की जावेगी।

मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस पेंशन नियम 1976 के नियम 10 (1) के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि से 2 वर्ष तक बिना शासन की पूर्वानुमति के कोई व्यवसायिक रोजगार करने की पात्रता नहीं होगी। यदि शासन की पूर्वानुमति के बिना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि से 02 वर्ष की समाप्ति के पूर्व कोई व्यवसायिक रोजगार ग्रहण किया जाता है तो संबंधित श्रीमती सोसम्मा ओमन नर्सिंग सिस्टर की पूर्ण पेंशन अथवा पेंशन के अंश को रोका जा सकता है।

श्रीमती सोसम्मा ओमन नर्सिंग सिस्टर, जिला चिकित्सालय सीहोर को दिनांक 01.02.2019(दोपहर पूर्व) से शासकीय सेवा से भारमुक्त माना जावे।

// स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित //

//
(रुही खान)

अपर संचालक (नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 6/5/2019

पृष्ठांकन क्रमांक 09/सेल-1/2018/ एफ-38/ 6/5

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश
3. संचालक, लीगल, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल मध्यप्रदेश
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सीहोर
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, जिला सीहोर को उनके पत्र क्रमांक स्थापना -2/2019/146 दिनांक 15.01.2019 के संदर्भ में भेजकर निर्दिष्ट किया जाता है कि श्रीमती सोसम्मा ओमन नर्सिंग सिस्टर, जिला चिकित्सालय सीहोर को नियमानुसार देय स्वत्वों का भुगतान, पेंशन आदि का निराकरण का शीघ्र अर्थाहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला सीहोर
8. श्रीमती सोसम्मा ओमन नर्सिंग सिस्टर, जिला चिकित्सालय सीहोर की ओर पालनाथ।
9. प्रभारी एम.आइ.एस. संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, कृपया उक्त आदेश को विभागीय साइट पर तत्काल अपलोड करने का कष्ट करें।
10. आदेश नस्ती

Ruh
(रुही खान)

अपर संचालक (नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश